न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 27 / 2023

वादीगण

1. जादमखां 2 आधमखां 3 देमाखां 4 रहीमखां 5 रोशनखां 6 शकूरखां पिसरान जीवराज खां 7 विरोजीदेवी पत्नी जीवराजखां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी, सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 धाईबानों पत्नी जमाखांन जाति मुसलमान निवासी सिंधियों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री बांकाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 12/08/24

पत्रावली संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 27 / 2023 अनवान जादम खां वगैराह बनाम धाई बानो वगैराह में दिनांक 19.09.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व / पीडी / 2024 / 700 दिनांक 24.5.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य जाकर मौजा सिंधियों की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 663 रकबा 4.5568 हैक्टेयर भूमि का विभाजन निम्नप्रकार किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	बरंग
1	जादम खां 1/7, आधम खां 1/7 देमाखां 1/7 रहीम खां 1/7 रोशन खां 1/7 शंकर खां 1/7 पिसरान जीवराज खां वीरोजीदेवी पत्नी जीवराज खां हिस्सा 1/7 जाति सिन्धी मुसलमान सा. देह खातेदार	663	3.6422	बा.सो.	गुलाबी
2	धाई बानो पुत्र जमा खान हिस्सा सम्पूर्ण जाति सिन्धी मुसलमान सा. देह खातेदार	663	0.9146	बा.सो.	हरा

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण समस्त राजस्व अभिलेख में लगान का निर्धारण कर अमल दरामद करावें तथा नक्शा में तरमीम करावें। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा प्रारूप–3 भी निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.12.05 11:46:31 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर